न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 17/2018

अपीलांट –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
अन्नाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मगने की ढाणी, कुडला तहसील व जिला बाड़मेर		1. मोटाराम पुत्र सादूलाराम 2. रावताराम पुत्र प्रहलादराम 3. मगीदेवी पत्नी प्रहलादराम जाति जाट निवासी मगने की ढाणी कुडला तहसील व जिला बाड़मेर 4. रविशंकर पुत्र खंगारमल जाति सोनी निवासी राय कॉलोनी 5. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/राज/2847 दिनांक 25.08.2013 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री सुनिल मेराजा, रेस्पो0 सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री रविशंकर, रेस्पो. सं. 4 स्वंय उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 20.09.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2847 दिनांक [illegible] 2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि [illegible] मगने की ढाणी के [illegible]सरा नबंर 469, 634/470, 636/553 रकबा क्रमशः 00–16, 67–08, 2[illegible] बीघा कुल रकबा 95–10 बीघा भूमि अनाराम पत्र नीम्बाराम, मोटाराम पुत्र सादुला,

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रावताराम पुत्र प्रहलाद, मगी देवी पत्नी प्रहलाद कौम जाट साकिन देह, रविशंकर पुत्र खंगारमल जाति सोनी सा0 बाड़मेर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर अपने आदेश क्रमांक : राजस्व/2847 दिनांक 25.08.2013 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाड़मेर से अपीलाधीन अभिलेख तलबी हेतु तहरीर जारी की गई जिस पर उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दौरान सुनवाई अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता जरिये अपील मीमो प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। सह खातेदारान के मध्य भूमि के विभाजन में भूमि की उर्वरा स्थिति एवं पक्षकारान के कब्जा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था किन्तु अपीलाधीन आदेश में इस अहक मुद्दे को अनदेखा किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया है जो एकपक्षीय आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है तथा रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आई भूमि अपीलांट के कब्जे में रहवासीय ढाणिया बनी हुई है। लिहाजा मौके पर कब्जा–काश्त एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता होने से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण भी खोला गया तथा लट्ठा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम भी कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। मई 2016 में रेस्पोडेंट ने जब अपीलांट को घर से बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलांट ने पटवारी से जमाबंदी नक्शे की नकल ली तब पता

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चला कि बंटवाडे में नक्शा बाद में बदल कर अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के खाते में डाल दी है। अपीलांट ने विवादित बंटवाडा की नकल मांगी तो तहसीलदार ने अपने रेकर्ड में होने से मना कर दिया। इस पर अपीलाधीन बंटवाडे के क्रम में पारित नामान्तरकरण संख्या 100 की नकल मांगी जो दिनांक 21.07.2016 को प्राप्त हुई। इसके विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई, जिसका श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 78/2018 दर्ज कर दिनांक 29.11.2017 को बंटवाडा की अपील किये जाने का आदेश किया। इस पर बंटवाडा की पुनः नकल मांगी तब दिनांक 23.02.2018 को तहसीलदार द्वारा बंटवाडे में रेकर्ड में नहीं होने का पृष्ठांकन कर पत्रांक जारी किया। इस प्रकार जानकारी होने की दिनांक से सम्यक तत्परता से जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब में अपीलांट की अपील की ताईद करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में सभी सहखातेदार आपसी सहमति से किये बाहमी बंटवाडा अनुसार कब्जा–काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढ़ाणियां बनी हुई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की यह अपील स्वीकार करते हुए मौके पर भूमि का सही रूप से विभाजन किये जाने हेतु सहमत है। रेस्पोडेंट संख्या 4 स्वयं उपस्थित हुआ जिसने प्रकट किया कि माफिक हिस्सा एवं मौका–कब्जा भूमि का विभाजन अपीलांट स्वयं की सहमति से हुआ था तथा वर्तमान में भी मौके पर विभाजन अनुसार काबिज हैं। अपीलांट ने हमें परेशान करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन कि[illegible] यह पाया जाता है कि मौजा मगने की ढाणी के खेत [illegible]/553 रकबा क्रमशः 00–16, 67–08, 27–06 बीघा कुल रकबा [illegible]5–10 बीघा भूमि अनाराम पुत्र नीम्बाराम, मोटाराम पुत्र सादुला, रावताराम [illegible] प्रहलाद, मगी देवी पत्नी प्रहलाद कौम जाट साकिन देह, रविशंकर पुत्र खंगारमल जाति सोनी सा0 बाड़मेर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर अपने आदेश क्रमांक : राजस्व/2847 दिनांक 25.08.2013 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील दिनांक 28.02.2018 को अर्थात 5 साल बाद पेश की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में प्रकट किया कि मई 2016 में रेस्पोडेंट ने जब अपीलांट को घर से बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलांट ने पटवारी से जमाबंदी नक्शे की नकल ली तब पता चला कि बंटवाडे में नक्शा बाद में बदल कर अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के खाते में डाल दी है जबकि अपीलाधीन विभाजन स्वयं अपीलांट की सहमति से पारित होना नामान्तरकरण संख्या 100 के कॉलम संख्या 14 में स्पष्ट उल्लेखित है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि भूमि का विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं हुआ है इस संबंध में तहसीलदार बाड़मेर से मौका कब्जा रिपोर्ट तलब की गई जिसमें रेकर्ड एवं मौका कब्जा के संबंध में वस्तुस्थिति उल्लेखित की गई है। अपीलाधीन विभाजन पांच वर्ष पूर्व हुआ है तथा इन पांच वर्षों में यदि मौका कब्जे की स्थिति में फेरबदल हुआ है तो इससे अपीलाधीन विभाजन दूषित होना नहीं माना जा सकता है। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका। ऐसे में 5 वर्ष बाद अब मौके पर यदि किसी प्रकार का फेरबदल हो भी गया हैं कि आज के मौके की स्थिति को अपीलाधीन आदेश की सुसंगती में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मेरिट पर दुर्बल होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:53 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर